

Email

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल, (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक / 2285 / एक-6-1 / 20

बैतूल, दिनांक 31/08/2020

प्रतिलिपि यथा निर्देश :-

1. श्रीमान राकेश मोहन प्रधान विशेष न्याया. (एस.सी / एस.टी.एक्ट), बैतूल
2. श्री कमलेश इटावदिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
3. श्री अनुज त्यागी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
4. श्री राज कुमार गुप्ता, चतुर्थ अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
5. श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी, तृतीय अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल
6. श्री अनिल दंदेलिया, द्वितीय अति. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
7. श्री हरप्रसाद बंसकार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई
8. श्री सुशील कुमार जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई
9. श्री कृष्णदास महार, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई
10. श्री चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भैंसदेही
11. श्रीमती अनीता खजूरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल
12. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल / मुलताई / भैंसदेही / आमला  
( श्री दीनानाथ वाडिवा, श्रीमती सुनीता ताराम, श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, श्रीमती मंजुषा तेकाम, श्री नानसिंह ताहेड )
13. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल / मुलताई / भैंसदेही / आमला  
( सुश्री श्वेता खरे, श्रीमती कमला गौतम, श्री विनोद अहिरवार, सुश्री प्रियंका कुशवाह, श्री अजय उइके, श्री दीपेन्द्र मालू, श्री आशीष मिश्रा, सुश्री पूर्वी तिवारी, श्री कौस्तुभ खेडा, ट्रेनी जज, बैतूल, श्री विशाल रिछारिया, श्री अभिषेक साहू, श्री कृष्णा वोहरा, श्री अंशुल चंद्रा ट्रेनी जज )
14. प्रस्तुतकार स्टेनो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल

की ओर माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक / बी / 3268 जबलपुर दिनांक 28.08.2020 की छायाप्रति आपके व्यक्तिगत ई-मेल पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते, जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बैतूल (म.प्र.)

500  
29/8/20  
p.50

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR**

//MEMORANDUM//

No. B/3268  
III-1-46/58 Pt.-(XI)

Jabalpur, dated 28/08/2020

The District and Sessions Judge,  
All in the State

Principal Judge,  
Family Court,  
All in the State

**Subject:** Regarding consideration on units for compromise due to replacement of schedule under Section 320 of Cr.P.C.

**Reference:** Registry Circular no. 1158/Reg.D.E./14 dt. 01-10-2014.

As directed, I wish to apprise that meeting of "Arrears committee-cum-Case Management Committee for State Court Management System" was convened on 18.07.2020. In the meeting matter pertaining to "Consideration on units of cases decided after compromise and judgment is required" was placed before Hon'ble Committee, after due consideration and deliberation in the matter the Committee has been pleased to resolved to amend/add/modified in Registry Circular no. 1158/Reg.D.E./14 dt. 01-10-2014-

At page 9 a new standard as 1(c)(a) be added under head Criminal as under:-

**1(c)(a) Compounding under any section : 3 units  
before commencing of evidence but  
judgment is required in remaining  
sections.**

I am therefore, request you to bring the aforesaid amendment into the knowledge of all the Judicial Officers working under your kind control.

(B.P. SHARMA)  
REGISTRAR (D.E.)

Encl. No. B/3269  
III-1-46/58 Pt.-(XI)

Jabalpur dtd. 28/08/2020

Copy forwarded to the Member Secretary, SCMS, High Court of M.P. Jabalpur for kind information and necessary action.

(B.P. SHARMA)  
REGISTRAR (D.E.)